प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 548 सन 2021

अनवान :–

1. पतराम पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
2. प्रेमकुमार पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
4. लाधुराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पत्नी लेखराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सजय कुमार अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/12/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 58/55 के खसरा न0 199/1 की 0.5124हैक खसरा न0 473/200 की 0.0890हैक खसरा न0 520/199 की 8.4026हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर से जरिये बैयनामा दिनांक 9.6.1998 को कुल 1.5180हैक भूमि दक्षिणी हिस्सा की खरीद की थी।

वादीगण ने खरीद के बाद खाता तक्सीम करवाया तो वादीगण को बताया गया की उनको दक्षिणी हिस्सा की भूमि ही दी जा रही है खाता विभाजन के अनुसार भूमि का खाता विभाजन हो गया इसी अनुसार भूमि काश्त करता रहा वादीगण ने जमाबन्दी और नक्शा अपनी भूमि का प्राप्त किया तो पता चला की उसके द्वारा खरीद की गई दक्षिणी हिस्सा की भूमि के बजाय उतरी दिशा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के कब्जा काश्त में खरीद के समय से ही दक्षिण हिस्सा की भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि उतरी दिशा की दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने खरीद /बैयानामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण ने जरिये बैयानामा प्रतिवादीगण के पिता/ससुर से दक्षिण हिस्सा की भूमि खरीद की थी उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर से जरिये बेयानामा भूमि खरीद की गई थी खरीद के समय वादीगण को सयुक्त भूमि का दक्षिणी हिस्सा दिया गया था जो उनके कब्जा काश्त में चला आ रहा है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम उतरी हिस्सा दर्ज हुआ है वादीगण के कब्जा काश्त एवं बेयानामा के अनुसार उसके हिस्से में दक्षिणी हिस्सा दर्ज किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल जबाब/सहमति पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष –2021 में पेश होने पर वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 58/55 के खसरा न0 199/1 की 0.5124हैक खसरा न0 473/200 की 0.0890हैक खसरा न0 520/199 की 8.4026हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर से जरिये बैयनामा दिनांक 9.6.1998 को कुल 1.5180हैक भूमि दक्षिणी हिस्सा की खरीद की थी।

वादीगण ने खरीद के बाद खाता तक्सीम करवाया तो वादीगण को बताया गया की उनको दक्षिणी हिस्सा की भूमि ही दी जा रही है खाता विभाजन के अनुसार भूमि का खाता विभाजन हो गया इसी अनुसार भूमि काश्त करता रहा वादीगण ने जमाबन्दी और नक्शा अपनी भूमि का प्राप्त किया तो पता चला की उसके द्वारा खरीद की गई दक्षिणी हिस्सा की भूमि के बजाय उतरी दिशा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के कब्जा काश्त में खरीद के समय से ही दक्षिण हिस्सा की भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि उतरी दिशा की दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने खरीद /बैयानामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 58/55 के खसरा न0 199/1 की 0.5124हैक खसरा न0 473/200 की 0.0890हैक खसरा न0 520/199 की 8.4026हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है उन्होने जरिये बैयनामा दिनांक 09.06.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर से उनके हिस्से की भूमि में से दक्षिणी हिस्सा की भूमि खरीद की थी सहवन से राजस्व रिकार्ड मे उतरी हिस्सा दर्ज है अपने बैयानामा के अनुसार दक्षिणी हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण के द्वारा जरिये बैयनामा उनके पिता के नाम दर्ज भूमि में से दक्षिणी हिस्सा खरीद किया था उसी के अनुसार वादीगण के नाम दक्षिणी हिस्सा दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल एवं राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खसरा न0 199/1 की 0.5124हैक दक्षिणी हिस्सा, खसरा न0 473/200 की 0.0890हैक दक्षिणी हिस्सा, खसरा न0 520/199 की दक्षिणी हिस्सा की 0.9166हैक भूमि कुल तीनों खसरो की 1.5180हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 पिता/ससुर के नाम दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार खसरा न0 517/199 की वादीगण के नाम दर्ज 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/10/2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट..... किकराली

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पतराम पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र टिकूराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. लेखराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
2. प्रेमकुमार पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
4. लाधुराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पत्नी लेखराम पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 548 सन 2021 निर्णय दिनांक– 09/10/2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खसरा न0 199/1 की 0.5124हैक दक्षिणी हिस्सा, खसरा न0 473/200 की 0.0890हैक दक्षिणी हिस्सा, खसरा न0 520/199 की दक्षिणी हिस्सा की 0.9166हैक भूमि कुल तीनों खसरो की 1.5180हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 पिता/ससुर के नाम दर्ज है के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार खसरा न0 517/199 की वादीगण के नाम दर्ज 1.5180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को प्रशासन गांव के संग अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट किकराली

Scanned with CamScanner